न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 :434 सन 2018

अनवान :–

1. शान्ति पत्नि भानीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर

वादीया

बनाम

1. बिदामी पत्नी परतुराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 132/182 के खसरा न0 639 की कुल 7.74000हैक भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तोर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है व रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 47/37 के खसरा न0 528/1 की 10.3100हैक भूमि स्थित है जिसमें सयुत तौर से प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 200 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है ।

वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार की सदस्य है तथा वादिया प्रतिवादी संख्या 1 की माता है तथा प्रतिवादी सख्या 1 व वादीया सयुक्त परिवार की सदस्य है जिन्होने वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता के अनुसार बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादीया के हिस्सा में आई है जिसे वादीया काश्त करती आ रही है किन्तु वाद भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादीया अपने नाम से दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादीया प्रतिवादी सख्या 1 की माता है जो सयुक्त परिवार के सदस्य है वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद भूमि व अन्य भूमियों के सम्बध में आपसी सहमति से परिवारिक समझौता हुआ जिसमें वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई जिसे वो काश्त करती आ रही है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा वादीया ने अपने कथनो के समर्थन में परिवारिक समझौता व सहमति पेश की गई जो शामिल पत्रावली है हमने उभयपक्षों को सुना गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 वादीया की माता है अर्थात एक ही परिवार के सदस्य है वादीया का कथन है कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार का सदस्य होने के कारण वाद भूमि व अन्य भूमिया जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के सम्बध में काश्त की सुविधा को देखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया गया। परिवारिक समझौता में वाद भूमि वादीया को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त हुई है जिसे वो काश्त करती आ रही है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि परिवारिक समझौता में वादीया को प्राप्त हुई जो उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादीया काबिल डिक्री है।

अतः वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादीया का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा निमला के खाता संख्या 132/182 की कुल 7.7400हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज 1/4 की वादीया खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 47/37 की कुल 10.3100हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 200 हिस्सा की वादीया खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official